




Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
23-08-17	<p>राज्य द्वारा एडीपीओ।</p> <p>अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री बी०एस० यादव द्वारा हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार।</p> <p>प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।</p> <p>फरियादी एवं आहत शत्रुहनसिंह एवं करू उर्फ कलियानसिंह उपस्थित।</p> <p>फरियादी एवं आहत की ओर से प्रकरण में राजीनामा की संभावना व्यक्त की। अतः उभयपक्षों ने राजीनामा की संभावना हेतु मीडिएशन में प्रकरण रैफर किए जाने का निवेदन किया है।</p> <p>उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।</p> <p>उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री मौहम्मद अजहर, एसजे गोहद का चुनाव किया है।</p> <p>अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभयपक्ष दिनांक 23.08.17 को 3 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो दिनांक 30.08.17 तक सूचित करें।</p> <p>प्रकरण आगामी दिनांक 30.08.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(A.K. Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad dist. Bundelkhand P.N.</p> <p>पुनश्च:</p> <p>उभयपक्ष पूर्ववत्।</p> <p>प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।</p> <p>फरियादी एवं आहत शत्रुहनसिंह एवं करू उर्फ कलियानसिंह द्वारा राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320-2, द०प्र०स० एवं राजीनामा आवेदन फरियादी एवं आहत के हस्ताक्षर, सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहत पक्ष की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा द्वारा की गई।</p> <p>उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>फरियाद एवं आहत की ओर से अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दबाव, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं। राजीनामा के समर्थन में फरियादी का कथन अंकित किया गया।</p>	 

Order Sheet [Contd]

Case No. 2228/14 3-0 of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>अभियुक्त पर भा0द0वि0 की धारा 294, 341, 323, 506 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।</p> <p>अतः राजीनामा बाद तत्पक्षिक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 341, 323, 506 भाग दो भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। प्रकरण में आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।</p> <p>अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं।</p> <p>प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।</p> <p>प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।</p> <p style="text-align: center;">  Judicial Magistrate Class Gonad distt. Bhiwani </p>	<p>राजनीति</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>